कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 8 | अप्रैल 16-30, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

प्रेपरेटरी कमेटी फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट की स्थापना की 29वीं सालगिरह के अवसर पर :

हिन्दोस्तानी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों के हाथ में सत्ता आवश्यक शर्त है

आज से 29 वर्ष पहले, 11 अप्रैल, 1993 को कम्युनिस्ट और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, महिला आंदोलन के कार्यकर्ता, मानव अधिकार कार्यकर्ता, जज, वकील, शिक्षक, लेखक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता, प्रेपरेटरी कमेटी फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट (सी.पी.ई.) की स्थापना करने के लिए, नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित एक सभा में एकत्रित हुए थे।

1992 में शासक वर्ग की दो मुख्य पार्टियों, कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने मिलकर बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था और उसके बाद देशभर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाई थी। तब यह स्पष्ट हो गया था कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, हमारे देश के लोगों के हाथ में कोई ताक़त नहीं है।

वह ऐसा समय था जब सोवियत संघ ख़त्म हो गया था और दुनिया का दो-ध्रुवीय बंटवारा समाप्त हो गया था। इसके साथ-साथ एक नई अवधि की शुरुआत हो गई थी। दुनिया के साम्राज्यवादी सरमायदारों ने 20वीं सदी में मज़दूर वर्ग और लोगों द्वारा हासिल की गई सभी उपलब्धियों के ख़िलाफ़ एक चौतरफा हमला शुरू कर दिया था।

वह ऐसा समय था जब हमारे देश के हुक्मरान सरमायदारों ने फ़ैसला किया कि पुराने नेहरूवी "समाजवादी नमूने के समाज" को त्याग दिया जाएगा, जो बीती अवधि में उनके काम आया था। हुक्मरान सरमायदार उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिए भूमंडलीकरण का रास्ता अपनाने लगे। मज़दूर व किसान, महिला और नौजवान इस जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कार्यक्रम के ख़िलाफ़, सड़कों पर उतर रहे थे। उन हालातों में, हुक्मरान वर्ग ने अपना एजेंडा लागू करने के लिए और लोगों के संघर्षों को खून में बहा देने के लिए, अराजकता और हिंसा फ़ैलाने का रास्ता अपनाया था।

सी.पी.ई. की स्थापना के साथ, इस हक़ीक़त को स्पष्ट दर्शाया गया कि हिन्दोस्तानी समाज जिस राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उसका समाधान तभी हो सकता है जब लोगों को राजनीतिक सत्ता से दरकिनार करने की वर्तमान स्थिति ख़त्म होगी।

22 फरवरी, 1993 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर एक ऐतिहासिक रैली आयोजित की गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने रैलियों पर रोक लगा रखी थी। केंद्र सरकार के उन प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए, उस रैली को आयोजित किया गया था। उस रैली को मज़दूर एकता कमेटी और विभिन्न महिला संगठनों तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने मिलकर आयोजित किया था। उस रैली में सभी ज़मीर वाले पुरुषों और महिलाओं को संबोधित करते हुए, एक दूरदर्शी अपील जारी की गई थी। उसमें सभी से यह मांग की गई थी कि राजनीति के अपराधीकरण को ख़त्म करने और राजनीतिक सत्ता से लोगों को दरकिनार करने वाली वर्तमान स्थिति को ख़त्म करने के लिए, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। देश के कोने-कोने में ज़मीर वाले पुरुषों और महिलाओं ने उस अपील पर हस्ताक्षर करके, उसके साथ अपनी सहमति जताई थी।

सी.पी.ई. की स्थापना के साथ, इस हक़ीक़त को स्पष्ट दर्शाया गया कि हिन्दोस्तानी समाज जिस राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उसका समाधान तभी हो सकता है जब लोगों को राजनीतिक सत्ता से दरकिनार करने की वर्तमान स्थिति ख़त्म होगी। सी.पी.ई.

शेष पृष्ठ 2 पर

पाकिस्तान में अमरीकी हस्तक्षेप की निंदा करें!

8 मार्च को इमरान खान सरकार के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता बन गई है। इसके बाद सरकार के कुछ समर्थक विपक्षी खेमे में मिल गए हैं। 28 मार्च को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। जब प्रधानमंत्री खान ने अमरीका पर यह आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके सत्ता परिवर्तन करने का काम कर रहा है, तब पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इस अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया।

प्रधानमंत्री खान ने बताया कि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के पीछे अमरीकी हाथ होने के सबूत हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास 7 मार्च को अमरीका द्वारा पाकिस्तान को भेजे गए एक आधिकारिक डिप्लोमेटिक सन्देश के रूप में सबूत मौजूद है, जिसे विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने के एक दिन पहले भेजा गया था। सन्देश में कहा गया है :

"अगर अविश्वास-प्रस्ताव सफ़ल होता है, तो हम आपको माफ़ कर देंगे। अगर यह सफ़ल नहीं हुआ और इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहे, तो पाकिस्तान एक मुश्किल स्थिति में होगा।"

अमरीकी साम्राज्यवादियों का पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का एक लंबा इतिहास है। उन्होंने पाकिस्तान की आंतरिक और विदेश नीतियों को निर्देशित करने की कोशिश की है। दुनिया में अपनी दादागिरी को मजबूत करने की कोशिशों में अमरीकी साम्राज्यवादी पाकिस्तान को अपना एक मोहरा मानते हैं।

जब से अमरीका ने अपने सैनिकों को अफ़ग़ानिस्तान से बाहर निकाला है, अमरीकी साम्राज्यवादी पाकिस्तान के पड़ोसी देश में नए तालिबान शासन के प्रति पाकिस्तान की नीति से बेहद नाखुश हैं। वे इस बात से नाखुश हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में 4 फरवरी को भाग लिया, अमरीका ने जिस खेल का बहिष्कार किया था; और बाद में उन्होंने रूस का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाक़ात की। अब वे इस बात से नाराज़ हैं कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमरीका द्वारा लाये गए उस प्रस्ताव, जिसमें यूक्रेन में रूस के सैन्य हस्तक्षेप के लिए रूस की निंदा की गई थी, उसका समर्थन नहीं किया और इस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रिपोर्ट के अनुसार, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 22 प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान से रूस की निंदा करने का आग्रह किया तो इमरान खान ने उनसे पूछा : "क्या हम गुलाम हैं और आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं?"

विश्व स्तर पर हुई हाल की घटनाओं से पता चलता है कि अमरीकी साम्राज्यवादी, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्यों से भी नहीं कतराते हैं। वे चुनी-हुई सरकारों को गिराने के लिए तथाकथित लोकतांत्रिक विपक्षी दलों का इस्तेमाल करते हैं। जो नेता उनके रस्ते में रोड़ा बन जाते हैं, वे उन नेताओं की हत्या

शेष पृष्ठ 6 पर

अंदर पढ़ें

- पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों से आफ्सपा को हटाया गया 3
- केरल की उच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध घोषित किया 3
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक-2022 4
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- इराक पर बेरहम हमले और क़ब्ज़े की 19वीं सालगिरह 5

कमेटी फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट की स्थापना

पृष्ठ 1 का शेष

ने वर्तमान संसदीय व्यवस्था और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया की समस्याओं पर व्यापक चर्चा शुरू की। सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ और मानव अधिकारों तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की हिफ़ाज़त में संघर्ष के अनुभव की समीक्षा की गयी। इन चर्चाओं से यह निष्कर्ष निकला कि लोकतंत्र और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया की वर्तमान व्यवस्था में कई मूलभूत त्रुटियां हैं।

वर्तमान व्यवस्था का गंभीर विश्लेषण करके, यह समझा गया कि हिन्दोस्तान का संविधान एक छोटे से गिरोह के हाथ में संप्रभुता सौंप देता है। वह गिरोह है – संसद के अंदर मंत्रिमंडल, जिसका उपदेश राष्ट्रपति मानने को बाध्य है। लोगों की सिर्फ एक ही भूमिका होती है, कि कुछ–कुछ साल बाद, हुक्मरान वर्ग की प्रतिस्पर्धी पार्टियों द्वारा चुने गए इस या उस उम्मीदवार को वोट दें। चुनाव के परिणाम सरमायदार निर्धारित करते हैं, धनबल, बाहुबल, मीडिया बल और खुलेआम धांधली के ज़रिए। मतदान करने के बाद लोगों की और कोई भूमिका नहीं रह जाती है। सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी जिस पार्टी को दी जाती है, वह सरमायदारों द्वारा निर्धारित एजेंडा को ही लागू करती है। इन त्रुटियों को हल करने के लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन लाने होंगे, ताकि फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में लोगों की केन्द्रीय भूमिका हो। संविधान के ज़रिये सुनिश्चित हो कि संप्रभुता लोगों के हाथ में होनी चाहिए।

समाज के अलग–अलग तबकों के पुरुषों और महिलाओं ने लोगों के हाथ में सत्ता लाने के इस काम को अपनाया। जनवरी 1999 में लोक राज संगठन की स्थापना के साथ, लोगों के हाथ में सत्ता लाने के आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया, जिसमें मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान और वे सभी लोग शामिल हुए, जो वर्तमान व्यवस्था के अंदर, सत्ता से दूर और हाशिये पर रखे जाते हैं – यानी समाज का बहुसंख्यक हिस्सा।

बीते 29 वर्षों की गतिविधियों से लोगों के हाथ में सत्ता लाने के संघर्ष को आगे बढ़ाने की फ़ौरी ज़रूरत की बार–बार पुष्टि हुई है।

हमारे देश के अधिकतम लोग अपने अधिकारों के लिए बहादुरी से संघर्ष कर रहे हैं। मज़दूर रोज़गार की सुरक्षा और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, निजीकरण और उदारीकरण के कार्यक्रम को फ़ौरन बंद करने की मांग कर रहे हैं। किसान सभी कृषि उत्पादों की सर्वव्यापक सरकारी ख़रीदी की व्यवस्था और लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की मांग कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जन–परिवहन, आदि इन सबको जनसेवा माना जाये और इन्हें सभी के लिए मुहैया कराना राज्य का फ़र्ज़ हो।

कश्मीरी, असमिय, मणिपुरी, नगा और हिन्दोस्तान में निवासी अनेक अन्य राष्ट्रों के लोग सम्मान का जीवन चाहते हैं, जहां उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली का आदर किया जाएगा। वे सेना के पांव तले जीवन जीने को मजबूर नहीं होना चाहते हैं।

पुराने बंधनों को तोड़कर, महिलाएं यौन उत्पीड़न, भेदभाव और अत्याचार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रही हैं। वे महिला बतौर और इंसान बतौर अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं।

लोग धर्म के आधार पर भेदभाव और अत्याचार को ख़त्म करना चाहते हैं। लोग ऐसे राज्य और व्यवस्था के लिए तरस रहे हैं जहां सबको ज़मीर का अधिकार सुनिश्चित होगा और जहां सांप्रदायिकता व सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों को सज़ा दी जाएगी। लोग घिनावनी जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके चलते लोगों को अमानवीय अत्याचार और अपमान का सामना करना पड़ता है।

लेकिन हक़ीक़त यह है कि वर्तमान व्यवस्था के चलते, लोगों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई साधन नहीं है, कि उनकी किसी भी समस्या का हल होगा।

हिन्दोस्तानी समाज की इन तमाम समस्याओं की जड़ सरमायदारों की हुकूमत में है, जिसमें अधिकतम शोषित बहुसंख्या को सत्ता से बाहर रखा गया है। इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में सरमायदार उत्पादन के मुख्य साधनों पर नियंत्रण करते हैं। राज्य – कार्यकारिणी, विधायिकी, न्यायपालिका, सरमायदारों की संसदीय पार्टियां और सभी दूसरे संस्थान – ये सब मज़दूरों और किसानों के ऊपर सरमायदारों की हुकूमत को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। इस हुकूमत को वैधता देने के लिए, समय–समय पर चुनाव आयोजित किये जाते हैं।

हिन्दोस्तान के सरमायदार दूसरे देशों के साम्राज्यवादी सरमायदारों के साथ, कभी मिलकर तो कभी टकराकर, ज्यादा से ज्यादा तेज़ गति के साथ खुद को अमीर बनाने का रास्ता अपना रहे हैं। इस रास्ते पर चलते हुए, वे मज़दूरों के शोषण, किसानों की लूट और लोगों की प्राकृतिक संपदा की लूट को और तेज़ कर रहे हैं। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा, जातिवादी बंटवारा और दमन, राष्ट्रीय अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब लोगों के सब–तरफा शोषण और दमन को और बढ़ाने के लिए सरमायदारों के काम आते हैं।

लोगों को बार–बार यह कहा जाता है कि उनकी समस्याओं की वजह सरकार चलाने वाली किसी खास पार्टी की नीतियां हैं, और अगर लोग किसी दूसरी पार्टी को सरकार चलाने के लिए चुनते हैं तो वे परिवर्तन ला सकते हैं। यह बहुत बड़ा धोखा है। यह हुक्मरान वर्ग, सरमायदार वर्ग ही है जो नीतियों को तय करता है। सरकार चलाने वाली पार्टी इन नीतियों को लागू करती है।

मज़दूरों और किसानों के लिए, समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुपार्टीवादी, प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था सरमायदारों का पसंदीदा हथकंडा है, जिसके ज़रिए वे मज़दूरों और किसानों पर अपनी हुकूमत को क़ायम करते हैं और इस हुकूमत को वैधता देते हैं। वर्तमान व्यवस्था के चलते, कार्यकारिणी निर्वाचित विधायिकी के प्रति जवाबदेह नहीं है और संसद के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। क़ानून और नीति बनाने में लोगों की कोई भूमिका नहीं है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन पार्टियों द्वारा किया जाता है। कौन उम्मीदवार बन सकता है या नहीं बन सकता है, इस पर लोगों से पूछा नहीं जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधि का काम संतोषजनक न होने पर भी, मतदाता के पास उस प्रतिनिधि को वापस बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।

सरमायदार धनबल के ज़रिए और राज्य तंत्र पर अपने नियंत्रण के सहारे धांधली करके चुनावों के परिणाम को निर्धारित करते हैं। सरमायदार यह सुनिश्चित करते हैं कि सिर्फ ऐसी पार्टी को ही सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी दी जाए जो वफ़ादारी से उनका एजेंडा लागू करेगी।

अगर आर्थिक व्यवस्था को जन समुदाय की सेवा में चलाना है तो यह आवश्यक है कि मेहनतकश लोग खुद सारे मुख्य फ़ैसले ले सकें। हमें एक ऐसे राज्य की ज़रूरत है, जो सरमायदारों को फ़ैसले लेने के विशेष अधिकार से वंचित करेगा, जो आज उनके पास है, और यह सुनिश्चित करेगा कि फ़ैसले लेने का अधिकार संपूर्ण जनता के हाथ में हो।

जो भी पार्टी और संगठन लोगों के अधिकारों की हिफ़ाज़त में तथा उदारीकरण और निजीकरण के ख़िलाफ़, सांप्रदायिकता और राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़, संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको एकजुट होकर लोगों के हाथ में सत्ता लाने के कार्यक्रम को अपनाना होगा। यही हमारे समाज की तमाम समस्याओं के समाधान की कुंजी है।

अगर आर्थिक व्यवस्था को जन समुदाय की सेवा में चलाना है तो यह आवश्यक है कि मेहनतकश लोग खुद सारे मुख्य फ़ैसले ले सकें। हमें एक ऐसे राज्य की ज़रूरत है, जो सरमायदारों को फ़ैसले लेने के विशेष अधिकार से वंचित करेगा, जो आज उनके पास है, और यह सुनिश्चित करेगा कि फ़ैसले लेने का अधिकार संपूर्ण जनता के हाथ में हो।

इसलिए आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष करने के साथ–साथ, मज़दूर वर्ग को लोगों के हाथ में संप्रभुता लाने के संघर्ष को अपने कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाना होगा। जब लोग संप्रभु होंगे, तब अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा दी जा सकती है। हम आत्मनिर्भरता के असूल का पालन करके देश की आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की हिफ़ाज़त कर सकेंगे।

हिन्दोस्तान के मज़दूरों और किसानों को एक नए संविधान पर आधारित, एक नए राज्य के ढांचे की स्थापना करनी होगी। उसमें कार्यकारिणी को विधायिकी के अधीन होना होगा और विधायकी को जनता के नियंत्रण में होना होगा। लोग अपने कार्य स्थानों और रिहायशी इलाकों में संगठित होकर, फ़ैसले लेने के अधिकार को अपने हाथों में लेंगे। जब लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, तो वे पूरी ताक़त उन्हें सौंप नहीं देंगे बल्कि ताक़त का कुछ हिस्सा ही सौंपेंगे और वह भी कुछ समय के लिए। लोग अपने हाथों में यह मांग करने का अधिकार रखेंगे, कि चुने गए प्रतिनिधि को समय–समय पर लोगों के सामने अपने काम का हिसाब देना होगा और लोग किसी भी समय उन्हें अपने पद से वापस बुला सकेंगे।

नई राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर राजनीतिक पार्टियों को शासन करने के अधिकार से वंचित करना होगा। इसके बजाय, राजनीतिक पार्टियों को लोगों की जागरुकता और संगठन के स्तर को बढ़ाने का काम करना होगा, ताकि लोग खुद अपना शासन करने के लिए पूरी तरह क़ाबिल हो सकें।

हिन्दोस्तानी संघ को रजामन्द राष्ट्रों और लोगों के स्वेच्छा पूर्ण संघ के रूप में पुनर्गठित करना होगा, जिसके अंदर हर एक घटक राष्ट्र और लोगों को आत्म–निर्धारण और अलग होने तक का अधिकार होगा।

जो भी पार्टी और संगठन लोगों के अधिकारों की हिफ़ाज़त में तथा उदारीकरण और निजीकरण के ख़िलाफ़, सांप्रदायिकता और राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़, संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको एकजुट होकर लोगों के हाथ में सत्ता लाने के कार्यक्रम को अपनाना होगा। यही हमारे समाज की तमाम समस्याओं के समाधान की कुंजी है।

http://hindi.cgpi.org/22004

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के 5वें महाअधिवेशन की रिपोर्ट

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध
(कीमत 100 रू. और डाक खर्च 40 रू.)
निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी,नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :- ई-392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस-2, नई दिल्ली - 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ गिने-चुने इलाकों से आफ्सपा को हटाया गया :

सशस्त्र बलों का निरंकुश आतंक अनवरत जारी है

31 मार्च को केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ गिने–चुने इलाकों से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, यानी आफ्सपा, को हटाने का अपना फ़ैसला घोषित किया। सरकारी घोषणा के अनुसार, "असम के 23 पूरे जिलों, एक जिले के कुछ अंश, नगालैंड के 6 जिलों और मणिपुर के 6 जिलों से आफ्सपा को हटाया जाएगा"।

दिसंबर 2021 में नगालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में सेना ने 13 कोयला खदान मज़दूरों पर गोली चलाकर, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। नगालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करने लगे। लोग यह मांग करने लगे कि गुनहगारों को सज़ा दी जानी चाहिए और आफ्सपा को रद्द करना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई।

इस घोषणा के ठीक बाद, सरकार ने मीडिया के ज़रिए यह झूठा प्रचार करने की कोशिश की कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में आफ्सपा के तहत चल रही सैन्य आतंक की मुहिम को ख़त्म करने की लोगों की मांग को पूरा करने जा रही है। हक़ीक़त तो यह है कि लोगों की यह मांग पूरी नहीं की गयी है। गुनहगारों को सज़ा नहीं दी गई है और आफ्सपा को रद्द नहीं किया गया है। कुछ गिने–चुने इलाकों से आफ्सपा के हटाए जाने से पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बलों का निरंकुश आतंक ख़त्म नहीं होगा।

सरकार की घोषणा के ठीक एक दिन बाद, दो नौजवान जो अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में मछली पकड़ने के बाद घर वापस जा रहे थे, असम राइफल्स के सिपाही की गोलियों का शिकार बनकर मारे गए। सिपाही ने उन्हें "संदिग्ध आतंकवादी" समझकर, उन पर गोली चलाई थी। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में आफ्सपा अभी भी लागू है।

लगभग एक महीने पहले, 28 फरवरी, 2022 को संपूर्ण असम राज्य पर आफ्सपा को अगले 6 महीने के लिए लागू किया गया था। इससे पहले, 28 अगस्त, 2021 को 6 महीने के लिए आफ्सपा को असम में लागू किया गया था। नवंबर 1990 से असम में आफ्सपा लागू किया गया था और हर 6 महीने के बाद, उसे फिर से लागू किया जाता है। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने पहले तो पूरे असम राज्य पर आफ्सपा को लागू कर दिया और फिर एक महीने बाद उसको कुछ गिने–चुने जिलों से हटा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि इन जिलों में आफ्सपा को लागू करने का कोई औचित्य ही नहीं था!

सरकार की हाल की घोषणा के बाद भी असम के कई जिलों, जैसे कि – तिनसुखिया, कारबी आंगलोंग, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, चराई देओ, शिवसागर, जोरहाट, पश्चिमी कारबी आंगलोंग और दीमा हसाओ – इन सारे जिलों में आफ्सपा अभी भी लागू रहेगा।

हिन्दोस्तान के विभिन्न राज्यों के लोगों की राजनीतिक समस्याओं का राजनीतिक समाधान होना ज़रूरी है। हमारे देश के विभिन्न इलाकों के लोगों के, अपने मानव–अधिकारों, लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय अधिकारों के लिए संघर्ष, पूरी तरह ज़ायज़ हैं। आफ्सपा को रद्द किया जाना चाहिए और सशस्त्र बलों को अपने बैरक में वापस भेज दिया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के लोगों की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए यह आवश्यक, पहला क़दम है।

मणिपुर के पूरे राज्य में आफ्सपा लागू रहेगा। सिर्फ 15 पुलिस थाने जो घाटी के इलाके में, 6 जिलों में फैले हुए हैं, उन पर आफ्सपा लागू नहीं होगा। ये पुलिस थाने मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में आते हैं। आफ्सपा को इनमें से पहले ही हटा दिया गया था, जब 2006 में मणिपुर के लोगों ने आफ्सपा के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध किया था। मणिपुर के सभी पर्वतीय जिलों में आफ्सपा अभी भी लागू रहेगा।

31 मार्च के बाद भी, नगालैंड के सभी जिलों में आफ्सपा लागू रहेगा। इनमें वह जिला भी शामिल है जहां दिसंबर 2021 में सेना ने गोली मारकर लोगों की हत्या की थी। अरुणाचल प्रदेश में आफ्सपा वैसे का वैसा ही लागू रहेगा।

आफ्सपा एक ऐसे क़ानून पर आधारित है जिसे अंग्रेज बस्तीवादियों ने अगस्त 1942 में पहली बार, हमारे लोगों के बढ़ते बस्तीवाद–विरोधी आज़ादी के संघर्ष को कुचलने के इरादे से लागू किया था। 1958 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (1958) को पास किया था, ताकि उस समय अपने राष्ट्रीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नगा लोगों के ख़िलाफ़ बल प्रयोग को ज़ायज़ ठहराया जा सके। उस समय के बाद, एक के बाद दूसरी, जो भी केंद्र सरकार बनी है, उसने मणिपुर, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब और कश्मीर में जन संघर्षों को कुचलने के लिए, आफ्सपा को लागू किया है। इन सभी जगहों पर हिन्दोस्तानी राज्य ने राजनीतिक समस्याओं को हल करने से इनकार किया है और उसके बजाय, राजनीतिक समस्याओं को "क़ानून और व्यवस्था की समस्या" में बदलकर, लोगों के ख़िलाफ़ निरंकुश राजकीय आतंक का इस्तेमाल किया।

आफ्सपा सशस्त्र बलों को पूरी छूट देता है, कि वे किसी भी समय, किसी भी जगह पर, बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकते हैं और किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। इस क़ानून के तहत, सशस्त्र बलों को पूरा अधिकार दिया गया है कि वे सिर्फ शक के आधार पर, बेकसूर, निहत्थे लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले सकते हैं, फ़र्जी मुठभेड़ कर सकते हैं, लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं और पूरी तबाही मचा सकते हैं। आफ्सपा सशस्त्र बलों को किसी भी अदालत में किसी भी प्रकार के क़ानूनी मुक़दमे से पूरा बचाव दिलाता है।

केंद्र सरकार ने पूरी मनमानी के साथ, आफ्सपा को कभी इस इलाके में तो कभी उस इलाके में, लागू किया है या उसे हटाया है। पूर्वोत्तर राज्यों के पूरे–पूरे इलाकों को "अशांत" घोषित किया जाता है और वहां आफ्सपा को लागू करना ज़ायज़ ठहराया जाता है, जिसके चलते वहां के लोगों के सभी मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों को बेरहमी से कुचल दिया जाता है।

जब भी कहीं सेना की हत्या के ख़िलाफ़ जन–विरोध बढ़ जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट "चिंता" का बड़ा नाटक करता है और कुछ गिने–चुने इलाकों से आफ्सपा को हटाने की घोषणा की जाती है। कुछ समय बाद, फिर से आफ्सपा को वहां वापस लागू कर दिया जाता है। जब मणिपुर और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभाओं ने भी आफ्सपा को हटाने के पक्ष में प्रस्ताव पास किया, तब भी केंद्र सरकार ने आफ्सपा को हटाने से इनकार किया।

यह याद रखा जाए कि जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आफ्सपा के तहत सशस्त्र बलों को दिए गए क़ानूनी कवच के ख़िलाफ़ एक आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश 2012 में जारी की गई एक याचिका की प्रतिक्रिया था। वह याचिका मणिपुर में फ़र्जी मुठभेड़ों में सशस्त्र बलों द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों के संगठन – एक्स्ट्रा–ज्यूडिशल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन – द्वारा दर्ज की गई थी। उस याचिका में 1970 के दशक से मणिपुर में फ़र्जी मुठभेड़ों में 1,528 लोगों की मौत के रिकॉर्ड पेश किए गए थे और यह बताया गया था कि उनमें से किसी एक मामले में भी, दोषी सैनिकों के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने उन अपराधों के लिए गुनहगार सैनिकों को सज़ा देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है।

1990 से जम्मू और कश्मीर में आफ्सपा लागू है। आफ्सपा के चलते, वहां के लोगों के लिए, भयानक उत्पीड़न, लोगों का लापता हो जाना या सेना के हाथों फ़र्जी मुठभेड़ में लोगों की हत्या, यह सब जीवन की निरंतरता बन गई है।

आफ्सपा को रद्द करने की मांग, पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के लोगों तथा देश के सभी लोकतांत्रिक ताक़तों की अनवरत तथा लंबे समय से चली आ रही मांग है। लेकिन केंद्र में जो भी सरकार आती रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, उसने बार–बार इस ज़ायज़ मांग को पूरा करने से इनकार किया है। हिन्दोस्तानी राज्य ने बार–बार, आफ्सपा के तहत सेना द्वारा बेकसूर लोगों के बलात्कार, उत्पीड़न और हत्या को ज़ायज़ ठहराया है, यह बहाना देकर कि यह "राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा" के लिए ज़रूरी है और "सेना की मनोभावना को बनाए रखने" के लिए ज़रूरी है।

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को लागू करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। हिन्दोस्तान के विभिन्न राज्यों के लोगों की राजनीतिक समस्याओं का राजनीतिक समाधान होना ज़रूरी है। हमारे देश के विभिन्न इलाकों के लोगों के, अपने मानव–अधिकारों, लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय अधिकारों के लिए संघर्ष, पूरी तरह ज़ायज़ हैं। आफ्सपा को रद्द किया जाना चाहिए और सशस्त्र बलों को अपने बैरक में वापस भेज दिया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के लोगों की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए यह आवश्यक, पहला क़दम है।

http://hindi.cgpi.org/22023

केरल की उच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध घोषित किया

28 मार्च, 2022 को केरल की उच्च अदालत की एक खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल को अवैध घोषित करने का आदेश दिया। इस आदेश में केरल सरकार से हड़ताल पर रोक लगाने के लिये कहा गया है।

28 मार्च को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों द्वारा की गई दो दिवसीय सर्व हिन्द हड़ताल का पहला दिन था। केरल सरकार के ज्यादातर कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया था।

अदालत के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम–1960 की धारा 86 के विरुद्ध है। अदालत ने घोषणा की कि "धारा 86 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी हड़ताल में या इस तरह की किसी भी गतिविधि में खुद को शामिल नहीं करेगा।"

इसमें आगे कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकने के लिए केरल सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी कर्मचारियों को हड़तालों में शामिल होने से रोके। अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वह सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकने के लिए तत्काल उचित आदेश जारी करे और साथ ही अदालत ने सभी विभागों के प्रमुखों को कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए वे आवश्यक आदेश जारी करें ताकि धारा 86 का उल्लंघन न हो और उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाए।

अदालत के आदेश के बाद, केरल सरकार ने आदेश जारी किया कि हड़ताल करने वाले कर्मचारी हड़ताल के दिनों का वेतन और भत्ता पाने के हक़दार नहीं होंगे। इसके अलावा, इन दो दिनों को अर्जित अवकाश के लिए भी नहीं गिना जाएगा।

केरल की उच्च अदालत का फ़ैसला मज़दूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।

अदालत के फ़ैसले के बावजूद, केरल के सरकारी कर्मचारियों ने सर्व हिन्द हड़ताल में ज़ोरदार तरीक़े से भाग लिया।

http://hindi.cgpi.org/22002

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक–2022 :

सभी प्रकार के विरोध का अपराधीकरण करने और लोगों को आतंकित करने का राज्य का प्रयास

28 मार्च, 2022 को आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक–2022 लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 का स्थान लेगा।

1920 का अधिनियम राज्य की जांच एजेंसियों को अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के बारे में जांच के उद्देश्य से निश्चित प्रकार की पहचान योग्य जानकारी और विवरण एकत्र करने का अधिकार प्रदान करता है। नया विधेयक विवरणों और उन व्यक्तियों के दायरे का विस्तार करता है जिनको विवरण देने के लिये बाध्य किया जा सकता है। इन विवरणों को इकट्ठा करने, संग्रहीत करने और संरक्षित करने के लिए यह विधेयक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अधिकृत करता है।

जबकि अधिनियम उंगलियों और पैरों के निशान जैसे विवरणों के संग्रह की अनुमति पहले ही देता है, यह विधेयक संग्रहीत विवरणों की सूची में हथेलियों के निशान, आंखों की आईरिस और रेटिना स्कैन, हस्ताक्षर व लिखावट और खून, वीर्य, बालों के नमूने व स्वैब और उनका विश्लेषण जैसे अन्य भौतिक और जैविक नमूनों को जोड़ता है।

1920 के अधिनियम के तहत, कुछ खास दंडनीय अपराधों के संबंध में दोषी ठहराए गए या गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों और ऐसे अपराधों के आरोपियों की जमानत देने वाले अन्य व्यक्तियों को ये विवरण देने की ज़रूरत है। 2022 का विधेयक इस तरह के विवरण देने के लिए बाध्य व्यक्तियों के दायरे को विस्तृत करता है, जिसमें सभी आरोपियों, दोषी या गिरफ़्तार व्यक्तियों के साथ–साथ, अब किसी भी निवारक निरोध क़ानून के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति भी शामिल है।

अधिनियम एकत्रित किए गए विवरण को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रह की तारीख़ से 75 वर्षों के लिए संरक्षित करने की अनुमति देता है। न्यायालय या मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश पर ही इससे छूट मिल सकती है।

विधेयक केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए किसी भी मानक के ज़रिये, जेल के मुख्य वार्डन, हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर की रैंक के पुलिस स्टेशन के प्रभारी को इस तरह के विवरण को एकत्रित करने के लिए अधिकृत करता है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक–2022 स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा सभी प्रकार के विरोधों का अपराधीकरण करने और लोगों को आतंकित करने का एक प्रयास है। यह संकेत देता है कि राज्य लगातार अपने आपको फासीवादी शक्ति से लैस करना चाहता है ताकि बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के क्रूर शासन के हर प्रकार के विरोध को कुचला जा सके ।

इस तरह का विवरण देने से किसी व्यक्ति द्वारा यदि प्रतिरोध या इनकार किया जाता है तो इसे भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाएगा।

विधेयक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) को अधिकार देता है कि वह राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों या अन्य क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों से व्यक्तियों के विवरण को प्राप्त कर सके। एन.सी.आर.बी. को एकत्र किए गए विवरणों को संग्रहीत करने या नष्ट करने, उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड के साथ मिलाने और केंद्र व राज्य सरकारों की क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों को विवरण प्रसारित करने का भी अधिकार होगा। विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि वे एन.सी.आर.बी. द्वारा विवरण के संग्रह, भंडारण, संरक्षण, विनाश, प्रसार और निपटान के तरीक़ों के संबंध में नियम बनायें।

यह विधेयक हमारे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर हमला है। यह राज्य को अपने रिकॉर्ड में बायोमेट्रिक और लोगों के बारे में सभी प्रकार की अन्य जानकारी हासिल करने और उसे रखने की मनमानी शक्ति देता है। यह उन सभी लोगों पर लागू हो सकते हैं जिन पर पुलिस सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन सहित, "क़ानून के उल्लंघन" के किसी भी रूप का आरोप लगा सकती है। पुलिस और जांच अधिकारियों को सूचना एकत्र करने के लिए धमकी और यातना सहित सभी प्रकार के तरीक़ों का उपयोग करने की अनुमति होगी। जो व्यक्ति इस तरह के विवरण देने से इनकार करता है, उसे अपराधी माना जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी जांच एजेंसियों के पास इन अभिलेखों तक पूरी पहुंच होगी, भले ही उस व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया हो।

इस डेटा का उपयोग किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों, किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन के साथ उसके जुड़ाव पर निरंतर निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग समाज में अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोगों को परेशान करने, डराने और आतंकित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग सत्ता में राजनीतिक पार्टी के सभी राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। इन विवरणों का इस्तेमाल उन लोगों के ख़िलाफ़ झूठे सबूत बनाने के लिए किया जा सकता है जिन पर पुलिस ऐसे अपराधों के लिए आरोप लगाना चाहती है जो उन्होंने किए ही नहीं हैं। इसका उपयोग यू.ए.पी.ए. जैसे निवारक निरोध क़ानूनों के तहत गिरफ़्तार और जेल में बंद व्यक्तियों को झूठ के आधार पर फंसाने और इस तरह बार–बार न्याय से वंचित करने के लिए किया जा सकता है, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, भले ही उस व्यक्ति को बाद में अदालत निर्दोष घोषित कर दे। इस डेटा के प्रदर्शन से व्यक्तियों और संगठनों के ख़िलाफ़ गलत प्रचार किया जा सकता है ताकि उन्हें बदनाम किया जाये, उन्हे अलग–थलग किया जाये और उन पर हमले किया जा सकें।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक–2022 स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा सभी प्रकार के विरोधों का अपराधीकरण करने और लोगों को आतंकित करने का एक प्रयास है। यह संकेत देता है कि राज्य लगातार अपने आपको फासीवादी शक्ति से लैस करना चाहता है ताकि बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के क्रूर शासन के हर प्रकार के विरोध को कुचला जा सके ।

हमारे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करने वाले सभी व्यक्तियों को विधेयक का कड़ा विरोध करना चाहिए और इसे क़ानून बनने से रोकना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22000

पाठकों की प्रतिक्रिया

धर्म के नाम पर हुक्मरानों की भटकाऊ और भड़काऊ हरकतें

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर के माध्यम से मैं राजनीतिक क्षेत्र में चल रहे रुझानों पर रोशनी डालना चाहती हूं।

सरकारी ओहदेदार, मंत्री, उनके काम से जुड़ी एजेंसियां व संगठन अत्यंत घटिया स्तर के दांवपेंच अपना रहे हैं। लोगों में फूट डालने, नफ़रत व डर फैलाने के तरीक़ों का सहारा ले रहे हैं ताकि नौजवान तबका व व्यापक समाज, महंगाई, बेरोज़गारी पर सरकार से सवाल न करे। उनके लिये एकजुट संघर्ष न करे। सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में उदासीनता व असमानता को चुनौती न दे। सार्वजनिक संपत्ति व लोक कल्याण क्षेत्र में सरकार की मनमानी को ललकारने की हिम्मत न कर सके।

किसी एक खास धर्म के विरोध में भटकाऊ विचार खड़े करके उन पर हंगामा करवाना। हिजाब की मिसाल, नवरात्री के दिनों में पूरे प्रांत में मांसाहारी भोजन पर पाबंदी लगाना ताजा–तरीन उदाहरण हैं। इन बातों से सिर्फ फूट ही नहीं पड़ती बल्कि लोगों के मौलिक अधिकारों पर भी वार किया जाता है। धर्म के नाम पर रोज़ी–रोटी के अधिकार को नकारा जाता है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, हर सदस्य का।

धार्मिक उत्सवों के समय के अलावा भी खास धर्म के लोगों की जीविका पर क्रूर हमले किये जा रहे हैं। नौकरी को तरसते लाखों नौजवानों को ऐसे ही मसलों में उलझाए रखने की कोशिश की जाती है।

ये सब पुलिस व प्रशासन की मदद से ही होता है। वरना एक धार्मिक गुरु सार्वजनिक तौर पर एक विशेष समुदाय की महिलाओं का अपहरण करने व बलात्कार करने वाला भाषण नहीं दे सकता है, वह भी पुलिस की पूरी मौजूदगी में।

लोग व उनके प्रतिनिधि सरकार से महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर सवाल करते हैं तो मनमानी से सभा ही भंग कर दी जाती है। जैसा कि अभी संसद में हुआ।

भटकाव, भड़काव, हिंसा व साम्प्रदायिक ज़हर फैलाकर लोगों को कमज़ोर करना, उनके संघर्ष करने की इच्छा शक्ति को कुचलना, महंगाई के ज़रिये लोगों को गुलाम बनाना, संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाना, इन सबसे जीवन की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं निकलता। हमें इन सबसे सावधान रहकर एक नये शोषण मुक्त समाज की रचना के संघर्ष के ही काम पर ध्यान देना चाहिये।

धन्यवाद,

निर्मल (दिल्ली)

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

इराक पर बेरहम हमले और क़ब्ज़े की 19वीं सालगिरह :

अमरीकी साम्राज्यवाद की हुक्मशाही के तले एक–ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने के अजेंडे को परास्त करना होगा

20 मार्च, 2003 को अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इराक पर क़ब्ज़ा करने और उसे नष्ट करने का दूसरा जंग शुरू किया था। इसकी शुरुआत उन्होंने "अचानक चौकानेवाले" (शॉक एंड आव), बम बरसाने के अभियान के साथ की थी। इराक पर बम बरसाने के इस अभियान को अमरीका और सारी दुनिया के लोगों को टेलीविजन के ज़रिए दिखाया गया था। उस वहशी सैनिक ताक़त को दर्शा कर, अमरीकी साम्राज्यवादी दुनिया के सभी लोगों और देशों को यह संदेश देना चाहते थे कि अगर वे पूरी दुनिया पर हावी होने की अमरीकी रणनीति का विरोध करते हैं, तो उनका भी वही हश्र होगा जो इराक के लोगों और सरकार का हुआ था।

आज अमरीकी साम्राज्यवादियों का पाखण्ड साफ़ दिखता है, जब वे "क़ानून पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था" की बात कर रहे हैं और यह इल्जाम लगा रहे हैं कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस इस व्यवस्था का हनन कर रहा है। अमरीकी साम्राज्यवादी चाहते हैं कि दुनिया के देश और लोग यह भूल जाएं कि किस तरह अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना इराक पर बम बरसाए थे और उसके बाद, इराक पर हमला करके उस देश पर क़ब्ज़ा कर लिया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थाई सदस्य – रूस, चीन और फ्रांस – इराक पर कब्ज़े की अनुमति देने को तैयार नहीं थे। दुनिया के अधिकतम देश और लोग भी उसके ख़िलाफ़ थे। अमरीका ने ब्रिटेन के समर्थन के साथ, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और पूरी दुनिया के जनमत के ख़िलाफ़, इराक की संप्रभुता का हनन किया था। यह दिखावा करने के लिए कि इस बेहद नाज़ायज़ जंग को अंतरराष्ट्रीय अनुमति प्राप्त थी, अमरीका ने एक तथाकथित "रजामंद देशों का गठबंधन" गठित किया, जिसमें अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड सदस्य थे। उस गठबंधन के झंडे तले इराक पर जंग को अंजाम दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार, सभी सदस्य देशों को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के ख़िलाफ़, धमकी या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कमिशन ऑफ जुरिस्ट्स (आई.सी.जे) ने ऐलान किया था कि इराक पर हमला सैन्य बल प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों का खुलेआम हनन था। उन्होंने कहा था कि "हमें इस बात पर गहरा खेद है कि कुछ थोड़े से राज्य इराक पर सीधा हमला करने जा रहे हैं, जो कि हमलावर जंग के बराबर है"। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव, कोफी अन्नान ने सितंबर 2004 में कहा था कि *"मैंने साफ़ कह दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार नहीं है। हमारे अनुसार और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार, यह जंग अवैध है"*।

अपने अवैध क़दम को ज़ायज़ ठहराने के लिए अमरीकी सरकार ने यह बहुत बड़ा झूठ फैलाया कि इराक में जनसंहार के

इराक पर हमले के विरोध में 15 सितंबर, 2007 को अमरीकी संसद कैपीटोल की ओर जुलूस निकाला

हथियारों का भंडार है, यानी रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों का भंडार है। बाद में यह पता चला कि न सिर्फ ये कि इराक में ऐसे कोई हथियार नहीं थे, बल्कि अमरीका और ब्रिटेन को भी यह बात, इराक पर हमला करने से पहले से ही, अच्छी तरह मालूम थी। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की 26 जुलाई, 2002 की एक बैठक द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी (एम.आई.–6) के अध्यक्ष ने वाशिंगटन की यात्रा के बाद, यह रिपोर्ट दी थी कि *"बुश सैनिक हमले के ज़रिये सद्दाम को हटाना चाहता है और इसे ज़ायज़ ठहराने के लिए आतंकवाद और जनसंहार के हथियारों का मनगढ़ंत बहाना पेश कर रहा है। सारी खुफ़िया सूचनाएं और तथ्य उसी नीति के इर्द–गिर्द रचे जा रहे हैं"*। इससे साफ़ पता चलता है कि अमरीका ने इराक पर हुए। इराक की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह तहस–नहस कर दिया गया था। उस प्राचीन सभ्यता का पोषण करने वाली नदियों के जल को प्रदूषित कर दिया गया। क़ब्ज़ाकारी ताक़तों ने सुनियोजित तरीक़े से वहां की धरती को रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा प्रदूषित कर दिया। लाखों–लाखों बच्चे कुपोषण और बीमारी से मर गए। लाखों–लाखों महिलाएं विधवा हो गयीं। इराक के पुस्तकालय और संग्रहालय, जिनमें किसी समय उस प्राचीन सभ्यता की अनमोल संपदा संग्रहीत करके रखी जाती थी, उन्हें लूटा गया और तहस–नहस कर दिया गया।

अमरीकी क़ब्ज़ाकारी ताक़तों ने इराक के अंदर सैकड़ों कैदखाने स्थापित किए, जिनमें आज़ादी के लिए लड़ने वाले दसों–हजारों देशभक्तों और मुक्ति–योद्धाओं

इराक पर हमले के विरोध में 15 फरवरी, 2003 को लाखों लोगों ने लंदन के हाइड पार्क में प्रदर्शन किया

सैनिक हमला करने और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराने का फ़ैसला कर लिया था। इराक पर जो इल्जाम लगाया गया था कि वह आतंकवाद का समर्थन कर रहा था और उसने जनसंहार के हथियारों का भंडार बना रखा था, वह अमरीका के उस जंग को ज़ायज़ ठहराने के लिए, सरासर मनगढ़ंत झूठ था।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने इराक के लोगों के ख़िलाफ़ भयानक अपराध किए। उस जंग में लाखों–लाखों इराकी लोग मारे गए। कई और लाखों लोग इराक के अंदर और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों में शरणार्थी शिविरों में जाकर रहने को मजबूर को बेमिसाल यातनाओं का शिकार बनाया गया और बाद में उनका क़त्ल भी कर दिया गया। अमरीकी क़ब्ज़ाकारी ताक़तों ने फ़र्जी मुक़दमे के बाद सद्दाम हुसैन को अपने क़ब्ज़े में कर लिया और उनकी हत्या कर दी। जब इराक के लोगों ने उस क़ब्ज़ाकारी जंग का डटकर विरोध किया, तो अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इराक के लोगों के बीच में गुटवादी जंग को भड़काया और पश्चिम एशिया के नक्शे को अपने मंसूबों के अनुसार, फिर से बनाने की अपनी योजना को लागू किया। उन्होंने आई.एस.आई.एस. जैसे आतंकवादी गिरोहों को स्थापित किया, धन और हथियार देकर लामबंध किया, और उनके सहारे लोगों की एकता को चकनाचूर करने की कोशिश की और अलग–अलग देशों व लोगों पर अमरीकी साम्राज्यवाद के अपराधों को ज़ायज़ ठहराने का प्रयास किया।

इराक पर हमला करने और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराने के पीछे अमरीका की एक मुख्य वजह यह थी, कि नवंबर 2020 में इराक ने डॉलर के बजाय यूरो में तेल का व्यापार करने का फ़ैसला किया था। उससे एक साल पहले, 1999 में जर्मनी और फ्रांस की अगुवाई में यूरोपीय संघ ने यूरो को यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा के रूप में स्थापित किया था। यूरो का विस्तार होने से, अंतरराष्ट्रीय विनिमय की मुद्रा के रूप में अमरीकी डॉलर का जो प्रधान रुतबा था, उसको ख़तरा पहुंच रहा था। यूरो को व्यापार की मुद्रा बनाकर इराक की सरकार, एक तरफ जर्मनी और फ्रांस तथा दूसरी तरफ अमरीका और ब्रिटेन, उनके बीच में प्रतिबंधों के मुद्दे पर बंटवारा करने की कोशिश कर रही थी। असलियत में, जर्मनी और फ्रांस इराक पर अमरीकी हमले का समर्थन नहीं कर रहे थे। यह याद रखना चाहिए कि प्रथम खाड़ी युद्ध, जो 1991 में समाप्त हुआ था, उसके बाद अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इराक पर बड़ी बेरहमी से आर्थिक प्रतिबंध लागू किए थे, जिनकी वजह से इराक के लोगों को बहुत कष्ट झेलने पड़े थे।

दुनिया में कई स्वतंत्र न्याय आयोगों ने एक के बाद दूसरी अमरीकी सरकारों को, इराकी लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। परंतु बुश, चेनी और उनके बाद आए युद्ध अपराधियों को कोई सज़ा नहीं दी गई है। इराक पर हमला करके उसका विनाश करने के बाद, अमरीकी साम्राज्यवादियों और उनके मित्रों ने लीबिया पर बम बरसा कर उस देश को नष्ट किया तथा लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी की बेरहमी से हत्या की। अमरीकी साम्राज्यवादियों और उनके मित्रों ने सीरिया, वेनेजुएला, यूक्रेन, जॉर्जिया और कई अन्य देशों में शासन परिवर्तन करने के लिए, तरह–तरह के आतंकवादी और फासीवादी गिरोहों तथा विपक्षी बलों को हथियार और धन दिए हैं। इन सभी बातों को, अमरीकी साम्राज्यवाद की अपनी हुक्मशाही के तले एक–ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने की कोशिशों के संदर्भ में समझना होगा।

आज अमरीकी साम्राज्यवादी और उनके मित्र, जिनका न सिर्फ इराक बल्कि कई अन्य देशों में मौत और तबाही फैलाने का घिनौना इतिहास है, यह दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे यूक्रेन के लोगों के अधिकारों के हिमायती हैं। अमरीका नाटो को पूर्व की तरफ, रूस की सरहदों तक विस्तृत करने की कोशिश कर रहा है, रूस को धमकाने और रूस का विनाश करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका रूस के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर, जंग फरोशी की मुहिम चला रहा है। अमरीका ने रूसी लोगों पर बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं और यूरोपीय तथा

शेष पृष्ठ 6 पर

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 April, 2022 Date of publish - 16 April, 2022

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

दिल्ली सरकार ने कोविड केन्द्रों की नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को नौकरी से निकाला

कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित कोविड सेंटरों में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी अपनी नौकरियों को बहाल किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के सचिवालय के सामने 29 मार्च, 2022 से धरना दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 24 मार्च को एक आदेश जारी करके, इन नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को 31 मार्च, 2022 से बर्ख़ास्त कर दिया है।

धरना स्थल पर लगाये गये बैनरों पर लिखा था – 'हमें न्याय दो!', 'कोरोना महामारी में काम करने का हमें तोहफ़ा मिला बेरोज़गारी!' आदि जैसे नारे लिखे हुये थे।

धरने में उपस्थित स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने 700 से ज्यादा योग्यता प्राप्त नर्सों को दिल्ली के 11 जिलों में कोविड सेंटरों में ठेके पर नियुक्त किया था। ये सभी स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली सरकार के मुख्य

जिला चिकित्सा अधिकारी के अधीन काम करते आ रहे थे।

जब देश और दिल्ली में महामारी की लहर सबसे ऊंचे स्तर पर थी, उस समय इन्हें दिल्ली के विभिन्न जिलों में बने कोविड सेंटरों में नियुक्त किया गया था। कोविड टीकाकरण में भी इन्हें ड्यूटी दी गई।

धरने में उपस्थित नर्सों का कहना है कि "महामारी के सबसे बुरे दौर में भी हमने अपने जीवन को दांव पर लगाया। हमने उस दौर में काम किया जब लोग अपने ही परिवार के मरीजों को छूने से कतराते थे। कोविड से मारे गए लोगों के शवों को उठाने का काम हमने किया है, टीकाकरण का काम हमने किया है। हमें हीरो कहा गया। अब जीरो कहकर बेरोज़गारी की अंधी गली में धकेला जा रहा है।" नर्सों ने कहा कि हममें से कई को तो गर्भावस्था में भी, इस चिलचिलाती धूप में बैठकर अपनी नौकरी के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने हमें कोरोना योद्धा कहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार भी हमारी परेशानियों को नजरंदाज़ कर रही है।

नर्सों ने बताया कि उन्होंने अपनी नौकरियों की बहाली के लिये, केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों, राज्यपाल, दिल्ली सरकार और उसके मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को निवेदन किया है। हमारे निवेदन पर सब खामोश हैं। सबसे ख़राब हालत में हमने खुद को आत्मसमर्पण के भाव से सेवा करने के क़ाबिल साबित किया है। दिल्ली सरकार हमारी नौकरी को बहाल करे।

नौकरी की बहाली की मांग को लेकर नर्सों का धरना जारी है।

http://hindi.cgpi.org/22021

पाकिस्तान में अमरीकी हस्तक्षेप

पृष्ठ 1 का शेष

की साज़िश भी आयोजित करतें हैं। इराक के सद्दाम हुसैन की हत्या और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की हत्या – ये दो हाल ही के उदाहरण हैं, जिनमें अमरीकी राज्य द्वारा इन हत्याओं के पीछे उनकी साज़िशें खुले तौर पर स्वीकार की गई। सी.आई.ए. द्वारा आयोजित खुफ़िया साज़िशों के माध्यम से कई अन्य राजनीतिक नेताओं का भी सफाया किया गया है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने इस हक़ीक़त की ओर भी इशारा किया है कि अमरीकी निर्देशों का पालन करने से इनकार करने के कारण, प्रधानमंत्री इमरान खान की ज़िन्दगी ख़तरे में है।

अमरीका को पाकिस्तान या किसी अन्य स्वतंत्र राज्य की विदेश नीति को निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे पाकिस्तान सरकार को गिराने के लिए साज़िश आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रधानमंत्री इमरान खान के इस दृढ़ रवैये को दुनियाभर की सभी साम्राज्यवाद–विरोधी ताक़तों का समर्थन मिलना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22009

अमरीकी हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में आधी रात को जबरदस्त प्रदर्शन

मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी मज़दूरों का संघर्ष

10 मार्च से मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी मज़दूरों का जिला और प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है

इराक पर हमले की 19वीं सालगिरह

पृष्ठ 5 का शेष

अन्य मित्रों को उसके साथ क़दम से क़दम मिलाने को मजबूर कर रहा है। अमरीका जर्मनी और यूरोपीय संघ को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि वे रूस से गैस ख़रीदना बंद कर दें, जिससे जर्मनी और रूस, दोनों कमजोर हो जाएंगे। अमरीका बड़े सोचे–समझे तरीक़े से यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ भड़का रहा है और रूस व यूक्रेन के बीच की समस्याओं का राजनीतिक समाधान करने की रूस की सभी कोशिशों को रोकने का प्रयास कर रहा है। अमरीका दुनिया के कई देशों की सरकारों पर दबाव डाल रहा है और उन्हें धमकी दे रहा है, ताकि वे अमरीका के रूस–विरोधी अभियान के साथ, क़दम से क़दम मिलाकर चलें।

अमरीकी साम्राज्यवाद सारी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से, बड़े पैमाने पर मौत व तबाही के फैलने का ख़तरा बढ़ रहा है। सारी दुनिया के लोगों को, जो मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की हिफ़ाज़त करते हैं, जो राष्ट्रों के आत्म–निर्धारण के अधिकार की हिफ़ाज़त करते हैं, एकजुट होकर इस तबाहकारी रास्ते का पर्दाफ़ाश करना चाहिए और इसका जमकर विरोध करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22014

Internet Edition

Mazdoor Ekta Lehar Mazdoor

Hindi: http://www.hindi.cgpi.org

English: http://www.cgpi.org

Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org

Thozhilalar Ottrumai Kural

Tamil: http://www.tamil.cgpi.org